न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 33 / 2024
निर्णय दिनांक : 14.08.2024
GCMS NO : 2024/78

ताराचन्द पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरूरत्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–
1. प्रार्थी अधिवक्ता उमाशंकर सोनी उपस्थित
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खसरा संख्या 100 तादादी 0.1770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 104 तादादी 0.1517 हैक्टेयर, खसरा संख्या 114 तादादी 0.9104 हैक्टेयर, खसरा संख्या 21 तादादी 3.7935 हैक्टेयर व खसरा संख्या 45 तादादी 0.1264 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल तादादी 5.1590 हैक्टेयर वाके रोही साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिसे प्रार्थना–पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम तारूराम पुत्र पेमाराम दर्ज है, जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम ताराचन्द पुत्र पेमाराम है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूरत्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम साण्डन में प्रार्थी का नाम तारूराम पुत्र पेमाराम दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम ताराचन्द पुत्र पेमाराम है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम ताराचन्द पुत्र पेमाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बिजली बिल की प्रति, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम ताराचन्द पुत्र पेमाराम ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 100 तादादी 0.1770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 104 तादादी 0.1517 हैक्टेयर, खसरा संख्या 114 तादादी 0.9104 हैक्टेयर, खसरा संख्या 21 तादादी 3.7935 हैक्टेयर व खसरा संख्या 45 तादादी 0.1264 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल तादादी 5.1590 हैक्टेयर वाके रोही साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में दर्ज तारूराम पेमाराम जाति जाट निवासी साण्डन खातेदार के स्थान पर ताराचन्द पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी साण्डन खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकिंत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ जिला–चूरू